इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रति वर्ष 40/रुपये
(आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 9 अंक सं. :2 सितम्बर, 2016 पृष्ठों की सं 14

दर्शन (विज़न): "बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक विकसित और शिक्षित करना।

ध्येय (मिशन) : "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।"

इस अंक में

मौद्रिक नीति --2
मुख्य घटनाएं --2
बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां---3
बैंकिंग जगत की घटनाएं---4
विनियामकों के कथन -- 4
बीमा --5
नयी नियुक्तिया -- 6
उत्पाद एवं गठजोड -- 6
विदेशी मुद्रा ---7
शब्दावली --------------------------------- --------------------- ------ 8
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी ---8
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां -- 8
संस्थान समाचार -- 9
बाज़ार की खबरें -- 11

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

वर्ष 2016-17 के लिए तीसरा द्विमासिक नीति वक्तव्य

वर्तमान और उभरती स्थूल-आर्थिक स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित उपाय करने का निर्णय लिया है :

- चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत नीतिगत पुनर्खरीद (repo) दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने;

- अनुसूचित बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) को निवल मांग एवं सावधि देयताओं के 4% पर अपरिवर्तित रखने; और

- यथा आवश्यक चलनिधि प्रदान करने का क्रम जारी रखने किन्तु प्रणाली में विद्यमान औसत प्रत्याशित चलनिधि घाटे को निवल मांग एवं सावधि देयताओं के एक प्रतिशत से घटा कर तटस्थता वाली स्थिति के निकट रखने।

- फलत: चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत प्रति- पुनर्खरीद (reverse repo) दर 6.0% पर तथा सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर एवं बैंक दर 7.0% पर अपरिवर्तित रहेगी।

मुख्य घटनाएं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सर्वव्यापी बैंकिंग का मार्ग प्रशस्त किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने नये निजी बैंकों के 'सदा-सुलभ' लाइसेंसीकरण के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिया है। नये दिशानिर्देशों के अधीन बैंकिंग और वित्त में 10 वर्षों का अनुभव रखने वाले निवासी, व्यक्ति और व्यावसायिक सर्वव्यापी बैंकों का प्रवर्तन करने के पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त,

प्रवर्तकों के व्यक्ति या एकल आधार वाली ऐसी प्रवर्तक / परिवर्तक संस्थाएं / कम्पनियां होने की स्थिति में जिनके पास अन्य समूह कम्पनियां / संस्थाएं न हों, किसी बैंक का गठन करने के लिए किसी गैर-परिचालनरत वित्तीय नियंत्रक कम्पनी (NOFHC) का होना अनिवार्य नहीं है।

बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं में क्षमता निर्माण पर भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना

भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षमता निर्माण पर एक समिति (जुलाई 14) गठित की थी, जिसने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सिफारिश की थी कि बैंकों को प्रमुख उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने वाले कर्मचारियों के प्रमाणन के लिए विशिष्टीकृत क्षेत्रों की पहचान कर लेनी चाहिए। प्रारंभ में बैंकों को खज़ाना परिचालनों, जोखिम प्रबन्धन, लेखांकन और ऋण प्रबन्धन के क्षेत्रों के लिए प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम हासिल करना अनिवार्य बना देना चाहिए। इसके अलावा, उक्त समिति ने यह सिफारिश भी की थी कि उपर्युक्त क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को यह प्रमाणन एक निर्धारित अवधि यथा 6 माह के भीतर हासिल कर लेना चाहिए। भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 11 अगस्त, 2016 की अपनी अधिसूचना के तहत बैंकों को यह सलाह दी है कि वे इसके कार्यान्वयन के एक मार्ग और निगरानी योजना को शामिल करते हुए एक व्यापक नीति तैयार करें।

एचडीएफसी ने लंदन शेयर बाज़ार में सूचीकरण कराते हुए विश्व का सर्वप्रथम मसाला बॉण्ड जारी किया

एचडीएफसी ने भारत से बाहर लंदन शेयर बाज़ार (LSE) में विश्व का सर्वप्रथम मसाला अथवा रुपये में मूल्यवर्गित बॉण्ड जारी करके 30 बिलियन रूपये जुटाए हैं। 8.33% के वार्षिक प्रतिफल के साथ उक्त बॉण्ड की परिपक्वता अवधि 3 वर्ष और एक माह है।

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक के चेक अस्वीकरण वाले मामलों में मानदंडों को सरल बनाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने चेक बुक से सम्बन्धित मानदंडों को शिथिल करते हुए 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक के चेक अस्वीकरण के मामलों में चेक बुक जारी की जाए या नहीं यह निर्णय ऋणदाताओं के विवेक पर छोड़ दिया है। बैंकों को चेक आहरण सुविधा के दुरुपयोग को रोकने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तथा चेकों के अनभिप्रेत अनादरण के लिए ग्राहकों को दंडित किए जाने से बचने के लिए बोर्ड या उसकी समिति द्वारा अनुमोदित एक नीति लागू करनी चाहिए।

बैंकिंग जगत की घटनाएं

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां : मंत्रिमंडल ने वित्तीय सेवाओं के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की टोंटी खोल दी

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (NBFCs) में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के विनियम में संशोधन को अनुमोदित कर दिया है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों से सम्बन्धित मौजूदा विदेशी मुद्रा प्रबन्ध (भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियमों में संशोधन "अन्य वित्तीय सेवाओं" में स्वत: मार्ग के तहत विदेशी निवेश के अंतर्वाह में समर्थ बनाएगा, बशर्ते इसप्रकार की सेवाएं वित्तीय क्षेत्र के किसी विनियामक (भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI), पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) आदि) / सरकारी एजेन्सियों द्वारा विनियमित हों। किसी विनियामक / सरकारी एजेन्सी द्वारा विनियमित न होने वाली "अन्य वित्तीय सेवाओं" में विदेशी निवेश अनुमोदन के आधार पर किया जा सकता है।

स्टाफ की कमी : बैंक आंतरिक लेखा-परीक्षा हेतु भूतपूर्व अधिकारियों को नियुक्त कर सकते हैं

सेवानिवृत्ति के कारण बैंकों में कर्मचारियों की जनांकिकीय प्रोफाइल में हुए परिवर्तन जिसके फलस्वरूप आंतरिक लेखा-परीक्षा, जो जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण का एक महत्वपूर्ण घटक है, का कार्य करने हेतु स्टाफ की कमी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों को अंतरिक लेखा-परीक्षा में सहायता करने के लिए कुछेक शर्तो के अधीन उनके सेवानिवृत्त अधिकारियों को रखने की अनुमति दी जाए।

विनियामकों के कथन

बैंकों को लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना चाहिए

भारतीय बैंक के उप गवर्नर श्री आर गांधी ने कहा है कि लघु एवं मध्यम आकार वाले उद्यम महयत्वपूर्ण हैं, तथापि औपचारिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्राय: उनकी अनदेखी की जाती है। बताया जाता है कि विश्व के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लघु एवं मध्यम उद्यमों की हिस्सेदारी आधे से अधिक है और वे वैश्विक कार्य बल के लगभग दो तिहाई अंश को नियोजित करते हैं। बैंकों को इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना चाहिए।

कार्य-निष्पादन में सुसंगति लाने के लिए अभिशासन सम्बन्धी सुधार आवश्यक हैं

भारतीय बैंक के उप गवर्नर श्री एस.एस. मूंदड़ा का कहना है कि सुदृढ़ ढांचागत और अभिशासन सम्बन्धी सुधारों के अभाव में बैंकों के कार्य-निष्पादन की सुसंगति बाह्य एवं आंतरिक घठनाओं के प्रति हमेशा सुग्राह्य बनी रहेगी। उन्होंने यह मत व्यक्त किया है कि निजी क्षेत्र के बैंकों में (अभिशासन सम्बन्धी) सुधारों को असंरेखित प्रोत्साहनों / प्रतिकरों पर संकेन्द्रित होने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कार्यसूची काफी बड़ी है, हालांकि,, तात्कालिक एवं अभिभावी प्राथमिकता है बैंकों के तुलनपत्रों की बुराइयां दूर करना जो कार्य जारी है।

बीमा

बीमाकर्ताओं के गैर-कार्यपालक निदेशकों और प्रबन्ध निदेशकों / मुख्य कार्यपालक अधिकारी / पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक पर इर्डाई के दिशानिर्देश

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने कहा है कि बीमाकर्ताओं को प्रबन्ध निदेशकों / मुख्य कार्यपालक अधिकारी / पूर्णकालिक निदेशकों को शामिल करते हुए एक व्यापक पारिश्रमिक नीति निर्धारित और अंगीकृत करनी चाहिए। उसने कहा है कि इस नीति का वार्षिक आधार पर पुनरीक्षण भी किया जाना चाहिए। उक्त नीति में इन दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए नियत वेतन, परिलब्धियां, बोनस, गारंटीकृत वेतन, पृथक्करण पैकेज, स्टॉक, पेंशन योजना, ग्रेच्युटी आदि जैसे पारिश्रमिक संरचना के सभी पहलुओं का समावेश होना चाहिए। प्रबन्ध निदेशकों / मुख्य कार्यपालक अधिकारी / पूर्णकालिक निदेशकों के वार्षिक पारिश्रमिक (परिलब्धियां जोड़िए बोनस आदि, वे जिस किसी नाम से हों) के 1.5 करोड़ से अधिक होने पर इसप्रकार का आधिक्य शेयरधारकों के खाते द्वारा वहन किया जाएगा।

इर्डाई सूचीबद्ध बीमा कम्पनियों में प्रवर्तक का जोखिम न्यूनतम 50% रखने के पक्ष में

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने यह निर्धारित किया है कि प्रवर्तको / प्रवर्तक समूह द्वारा न्यूनतम शेयरधारिता हमेशा बीमाकर्ता की चुकता इक्विटी पूंजी के 50 प्रतिशत पर बनाए रखी जानी चाहिए। हालांकि, जहां, प्रवर्तकों की वर्तमान धारिता 50 प्रतिशत से कम हो, वहां इसप्रकार की धारिता न्यूनतम धारिता होनी चाहिए।

बीमाकर्ताओं से निवेश मानदंडों की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने बीमा कम्पनियों से मार्च, 2017 में समाप्त होने वाली तिमाही से निवेश सम्बन्धी दिशानिर्देशों की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है। यह कदम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2016 के

अनुसरण में उठाया गया है जो कुछेक प्रणालियों और प्रक्रियाओं का लागू किया जाना अनिवार्य बनाता है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2016 31 मार्च, 2017 से प्रभावी होंगे।

नयी नियुक्तियां

नाम	पदनाम / संगठन
डॉ उर्जित पटेल	गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक
श्री दिनेश कुमार खारा	प्रबन्ध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक
श्री पवन कुमार बजाज	प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
श्री राज कुमार वर्मा	कार्यपालक निदेशक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
श्री अशोक चावला	गैर-कार्यपालक अंशकालिक अध्यक्ष, येस बैंक
श्री गोपाल मुरली भगत	कार्यपालक निदेशक, कारपोरेशन बैंक
श्री अमित सनन	ग्रुप प्रेसिडेंट एवं कंट्री हेड, मिड कार्पोरेट बैंकिंग, येस बैंक
श्री अशोक कुमार गर्ग	कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा

उत्पाद एवं गठजोड़

संगठन	**जिस संगठन के साथ गठजोड़ हुआ**	**उद्देश्य**
आईसीआईसीआई बैंक	अपोलो इंडिया क्रेडिट अपार्चुनिटी मैनेजमेंट एलएलसी एण्ड ऐओन (AION) कैपिटल मैनेजमेंट लिमिटेड	भारत में ऋण निराकरण हेतु साथ मिल कर काम करने के लिए।
कोटक बैंक	फ्लिपकार्ट	सीवनरहित इन ऐप खरीदारी अनुभव प्रदान करना।
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	पिआगियों वेहिकल्स प्राइवेट. लिमिटेड	संपूर्ण भारत में उनके हल्के वाणिज्यिक वाहनों के वित्तीयन के लिए।
भारतीय स्टेट बैंक	कोरिया डेवलपमेंट बैंक	दोनों बैंकों के बीच व्यावसायिक सहक्रिया बढ़ाने हेतु।
शिवालिक मर्कंटाइल सहकारी बैंक लिमिटेड	भारतीय जीवन बीमा निगम	पूर्ववर्ती के नेटवर्क के जरिये जीवन बीमा निगम के जीवन बीमा उत्पाद प्रदान करना।

इंडसइंड बैंक	आईबीएम	बैंक में आद्योपांत डिजिटल विपणन अभियान के लिए क्लाउड अ विश्लेषणात्मक समाधान लगाना।

विदेशी मुद्रा

सितम्बर, 2016 माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की न्यूनतम दरें

मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	0.96100	1.06000	1.11200	1.16100	1.21100
जीबीपी	0.32860	0.4438	0.4451	0.4647	0.4937
यूरो	-0.17000	-0.195	-0.178	-0.169	-0.128
जापानी येन	-0.03750	-0.076	-0.081	-0.070	-0.051
कनाडाई डालर	1.03000	0.939	0.949	0.958	0.989
आस्ट्रेलियाई डालर	1.68300	1.610	1.610	1.820	1.840
स्विस फ्रैंक	-0.64750	-0.669	-0.655	-0.630	-0.580
डैनिश क्रोन	-0.00930	-0.0009	0.0333	0.0900	0.1470
न्यूजीलैंड डालर	2.07000	2.010	2. 020	2.050	2.100
स्वीडिश क्रोन	-0.53100	-0.447	-0.333	-0.198	-0.048
सिंगापुर डालर	1.33500	1.475	1.585	1.668	1.730
हांगकांग डालर	0.81000	0.940	1.000	1.120	1.190
म्यामार	3.31000	3.320	3.350	3.400	3.460

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां

मद	**26 अगस्त, 2016 के दिन**	**26 अगस्त, 2016 के दिन**
	बिलियन् रुपये	मिलियन अमरीकी डालर
	1	2
1.1 कुल प्रारक्षित निधियां	24, 462,8	3,66, 776.6
1.2 विदेशी मुद्रा आस्तियां	22, 754.1	3,41 ,285.4
1.3 सोना	1, 446.9	21, 584.6
1.4 विशेष आहरण अधिकार	100.3	1, 496.6

1.5 अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	161.5	2, 410.0

शब्दावली

सीमांत स्थायी सुविधा (MSF)

सीमांत स्थायी सुविधा वह दर होती है जिस पर बैंक अनुमोदित प्रतिभूतियों के समक्ष इस सम्बन्ध में निर्धारित दिशानिर्देशों के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक से उधार लेने में समर्थ होते हैं। वर्तमान में सीमांत स्थायी सुविधा की दर पुनर्खरीद (repo) दर से 50 आधार अंक अधिक और प्रति -पुनर्खरीद (reverse repo) दर से 100 आधार अंक पर निर्धारित है।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

अवमानक आस्ति

अवमानक आस्ति वह होगी जो 12 माह से कम या उसके समकक्ष अवधि से अनर्जक आस्ति (NPA) रही हो। इसप्रकार की आस्ति में ऋण सम्बन्धी ऐसी सुपरिभाषित कमजोरियां मौजूद होंगी जो ऋण के परिसमापन को जोखिम में डाल देती हैं तथा इसप्रकार की सुस्पष्ट संभावना वाली होती हैं कि कमियों को दूर न किए जाने पर बैंकों को कुछ हानि उठानी होगी।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	तिथिं	स्थल
1	प्रमाणित अनुपालन अधिकारियों का परीक्षोपरांत कक्षा में शिक्षण	5-10-16- 9-10-16	मुंबई
2	श्रेष्ठ कर्माचारी कार्य-निष्पादन हेतु आंतरिक विपणन पर कार्यक्रम	17-10-16 -18-10-16	मुंबई
3	प्रमाणित ऋण अधिकारियों का परीक्षोपरांत कक्षा में शिक्षण	19-10-16-23-10-16	मुंबई

4	डिजिटल बैंकिंग पर कार्यक्रम	26-10-16 - 28-10-16	मुंबई
5	आवास वित्त पर कार्यक्रम	24-10-16-26-10-16	मुंबई
6	प्रमाणित ऋण अधिकारियों का परीक्षोपरांत कक्षा में शिक्षण	24-10-16-28-10-16	नई दिल्ली

संस्थान समाचार

7वां आर.के.तलवार स्मारक व्याख्यान

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैंस (IIBF) ने 7वें आर.के. तलवार स्मारक व्याख्यान - 2016 का आयोजन किया। "कैसल्स इन सैंड : इंडिया एण्ड दि टाइड ऑफ ग्लोबलाइजेशन" पर व्याख्यान इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद के निदेशक डॉ. आशीष नंदा द्वारा 24 अगस्त, 2016 को भारतीय स्टेट बैंक सभागृह, कारपोरेट सेंटर, भारतीय स्टेट बैंक, मादाम कामा मार्ग, नरीमन प्वाइंट, मुंबई में दिया गया।

89वीं वार्षिक साधारण सभा

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैंस ने अपनी 89वीं वार्षिक साधारण सभा का आयोजन 20 अगस्त, 2016 को इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैंस के लीडरशिप सेंटर, मुंबई में किया।

नई दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, नवी मुंबई और नागपुर में जेएआईआईबी संपर्क कक्षाएं

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैंस-मुंबई जेएआईआईबी / डीबीएण्डएफ के लिए संपर्क कक्षाओं का संचालन नई दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, नवी मुंबई और नागपुर में करेगा। पंजीकरण पहले आए, पहले पाए आधार पर किया जाएगा। कक्षा का संचालन केवल न्यूनतम 20 अभ्यर्थियों के नामांकन पर किया जाएगा और अधिकतम सीमा 35 अभ्यर्थियों की होगी। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।

जेएआईआईबी / डीबीएण्डएफ और सीएआईआईबी नवम्बर / दिसम्बर 2016 के लिए 90 घण्टों वाली तैयारी की कक्षाएं - उत्तरी अंचल, पूर्वी अंचल एवं दक्षिणी अंचल के व्यावसायिक विकास केन्द्र

उत्तरी अंचल, पूर्वी अंचल और दक्षिणी अंचल के व्यावसायिक विकास केन्द्र जेएआईआईबी / डीबीएण्डएफ और सीएआईआईबी नवम्बर / दिसम्बर 2016 की परीक्षाओं के लिए 90 घण्टों वाली तैयारी की कक्षाओं का संचालन करेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।

बैंक क्वेस्ट और आईआईबीएफ विज़न के लिए अभिदानों का ऑनलाइन मोड में स्वीकार किया जाना

संस्थान ने 1 जुलाई, 2016 से बैंक क्वेस्ट और आईआईबीएफ विज़न के लिए अभिदान को एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से ऑनलाइन मोड में संग्रहीत करने और मांग ड्राफ्ट के माध्यम से अभिदान स्वीकार करने की प्रथा बंद करने का निर्णय लिया है। यह अभिदान केवल एक वर्ष के लिए स्वीकार किया जाएगा। अन्य पक्ष द्वारा भुगतान नहीं स्वीकार किया जाएगा। घरेलू अभिदाताओं / संगठनों से अनुरोध है कि वे अभिदान का भुगतान ऑनलाइन मोड के माध्यम से सीधे ही करें। विदेशी अभिदाताओं के मामले में अभिदान हेतु आवेदन के मोड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। विदेशी अभिदाता आवेदन पत्र हेतु publications@iibf.org.in. पर प्रकाशन विभाग को लिख सकते हैं। घरेलू अभिदाता / संगठन ऑनलाइन मोड में अभिदान के भुगतान के लिए कृपया आईआईबीएफ की वेबसाइट www.iibf.org.in. पर Online Registration / Services पृष्ठ देखें।

सेवा कर की नई दर

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने 1 जून, 2016 से किसी भी या सभी करयोग-य सेवाओं पर 0.5% कृषि कल्याण उपकर की वसूली किए जाने की सूचना दी है। सेवा कर की प्रभावी दर 14% +0.5% (स्वच्छ भारत उप कर) + 0.5% (कृषि कल्याण उप कर) = 15.00%। तदनुसार संस्थान ने सभी शुल्कों में इस परिवर्तन को शामिल कर लिया है।

आगामी अंकों के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तुएं

बैंक क्वेस्ट के आगामी अंकों की विषय-वस्तुएं इसप्रकार निर्धारित की गई हैं :

- अक्तूबर - दिसम्बर, 2016 : डिजिटल बैंकिंग
- जनवरी - मार्च, 2017 : व्यवसाय विश्लेषण
- अप्रैल - जून, 2017 : मूलभूत सुविधा वित्तीयन में चुनौतियां

अपने ग्राहक को जानिए / धन-शोधन निवारण और ग्राहक सेवा परीक्षा

संस्थान अप्रैल, 2016 के बाद से अपने ग्राहक को जानिए / धन-शोधन निवारण और ग्राहक सेवा परीक्षा का आयोजन तिमाही आधार पर करेगा। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.orgin देखें।

परीक्षा के लिए दिशानिर्देशों / महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान द्वारा किसी कैलेंडर वर्ष के मई / जून माह के दौरान आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के सम्बन्ध में प्रश्नपत्र में समावेश के लिए विनियामक द्वारा जारी अनुदेशों / दिशानिर्देशों और बैंकिंग एव वित्त के क्षेत्र में केवल पिछले वर्ष के 31 दिसम्बर तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

संस्थान द्वारा किसी कैलेंडर वर्ष के नवम्बर / दिसम्बर माह के दौरान आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के सम्बन्ध में प्रश्नपत्र में समावेश के लिए विनियामक द्वारा जारी अनुदेशों / दिशानिर्देशों और बैंकिंग एव वित्त के क्षेत्र में केवल पिछले वर्ष के 30 जून तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

नयी पहलकदमी

वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये भेजने के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास अपने ई-मेल पते अद्यतन करवा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

---

* भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास आरएनआई संख्या : 69228 /1998 के अधीन पंजीकृत

बाज़ार की खबरें

भारित औसत मांग दरें

7
6.8
6.6
6.4
6.2

मार्च, 2016, अप्रैल, 2016, मई, 2016, जून, 2016, जुलाई, 2016, अगस्त,2016

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर, 2016

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें

110
100
90
80
70
60
50

अमरीकी डालर -- जीबीपी -- यूरो -- येन

फरवरी, 2016, मार्च, 2016, अप्रैल, 2016, मई, 2016, जून, 2016, जुलाई, 2016

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (**RBI**),

खाद्येतर ऋण वृद्धि %

16
15
14
13
12
11
10
9
8

फरवरी, 2016, मार्च, 2016, अप्रैल, 2016, मई, 2016, जून, 2016, अगस्त,2016

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, मंथली इकॉनॉमिक रिव्यू, जुलाई, 2016

बम्बई शेयर बाज़ार सूचकांक

29000
28500
28000
27500
27000
26500
26000
25500
25000

मार्च, 2016, अप्रैल, 2016, मई, 2016, जून, 2016, जुलाई, 2016, अगस्त, 2016

स्रोत : बम्बई शेयर बाज़ार (BSE)

समग्र जमा वृद्धि %

14
13
12
11
10
9
8
7

फरवरी, 2016, मार्च, 2016, अप्रैल, 2016, मई, 2016, जून, 2016, अगस्त, 2016

स्रोत: भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, मंथली इकॉनॉमिक रिव्यू, अगस्त, 2016

डॉ. जे. एन. मिश्र द्वारा मुद्रित, डॉ. जे. एन. मिश्र द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओ
प्रकाशित तथा ऑनलुकर प्रेस, 16 सासून डॉक, कोलाबा, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट अ
एण्ड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कॉमर्शियल- II,, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड,कुर्ला (पश्चिम), मुंबई -400
प्रकाशित।

संपादक : डॉ. जे. एन. मिश्र

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कॉमर्शियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम)
मुंबई - 400 070
टेलीफोन : 91-22 2503 9604 / 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom5 vsnl.net.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विज़न सितम्बर, 2016